(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
REVENUE DEPARTMENT, 5 SHAM NATH MARG, DELHI

No. F.1(36)/Regn.Br./HQ/Div.Com./2010/ Dated.................2011

NOTIFICATION

No. F.1(36)/Regn.Br./HQ/Div.Com./2010/ :- In exercise of the powers conferred by sections 78 and 79 of the Registration Act, 1908 (16 of 1908) as applicable to the National Capital Territory of Delhi read with Ministry of States Notification No. 104-J dated the 24th August, 1950 as modified by the States Ministry's Notification No. 124-J dated the 20th September, 1950 and Ministry of Home Affairs, Government of India Notification S.O. 2709 (No.F.41/2/66-Delhi) dated the 7th September,1966, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following amendments in the Table for Registration Fee and Miscellaneous Fee for Registration of Documents, notified vide this Government's notification No. F. 1(36)/Regn.Br./HQ/Div.Com./2010/353 dated 1st July, 2010, namely:-

AMENDMENTS

In the said Table—
(i) against clause (a) of Item at serial number 1 in relation to Book 1, as described in the first column, for the corresponding entry in the second column specifying the registration fee leviable and reading as "1 percent of consideration amount set forth of value as per circle rate which ever is higher subject to maximum of Rupees 50,000/-", the following entry shall be substituted, namely:-

"Subject to a minimum of Rupees one thousand, one percent of the consideration amount set forth or the value as per the circle rate, whichever is higher."

(ii) for Item at serial number 3 in relation to Book IV, as described in the first column, and the corresponding entry relating thereto as described in the second column, specifying the registration fee leviable, the following Items and the corresponding entries shall be substituted, namely:-
"

Description	Fee Leviable
3. In Book IV i.e. Miscellaneous registration of all other documents. (a) GPA with consideration	₹ 1000/- for each instrument One percent of the consideration amount set forth or value as per circle rate which ever is higher.

This notification shall come into force w.e.f. June 10, 2011.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi

(Rajesh Misra)
Special Inspector General (Registration)

No. F.1(36)/Regn.Br./HQ/Div.Com./10/ 1691 Dated 09/06/11

Copy to:-

1. The Pr. Secretary to L.G., Delhi.
2. The Pr. Secretary to the Chief Minister, Delhi.
3. The Secretary(GAD), Govt. of NCT of Delhi with one spare copy for its publication in Delhi Gazette Part-IV(extraordinary).
4. The Secretary, Govt. of India, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi
5. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi
6. OSD to Chief Secretary, Delhi
7. The Jt. Secretary(Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi
8. All Dy. Commissioners(Revenue), ADMs, SDMs, Sub-Regstrars/DIOs
9. State Informatics Officer, NIC, Delhi Secretariat, Delhi
10. PS to Divisional Commissioner, Delhi.
11. System Analyst, Revenue Department, GNCT of Delhi with the request to upload the same on the web site of Revenue Department and suitable changes in DORIS software.
12. Guard file.

(Rajesh Misra)
Special Inspector General (Registration)

(दिल्ली राजपत्र भाग–4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,
राजस्व विभाग
5–शाम नाथ मार्ग, दिल्ली –54

सं.फा. 1(36)/पंजी0 शाखा/मुख्या0/मंडली0आयु0/10/ दिनांकः

अधिसूचना

सं.फा. 1(36)/पंजी0 शाखा/मुख्या0/मंडली0आयु0/10/: –राज्य मंत्रालय की दिनांक 20 सितम्बर, 1950 की अधिसूचना संख्या 124–जे और गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 07 सितम्बर, 1966 की अधिसूचना एसओ 2709 (सं0फा0 41/2/66–दिल्ली) द्वारा यथाआशोधित राज्य मंत्रालय की दिनांक 24 अगस्त, 1950 की अधिसूचना सं0 104 जे के साथ पठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाप्रवृत्त पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 78 एवं 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस सरकार की दिनांक 01.07.2010 की अधिसूचना सं.फा. 01(36)/पंजी0 शाखा/मु0/मंडल0आयु0/2010/353 के अनुसार अधिसूचित प्रलेखों के पंजीकरण हेतु पंजीकरण शुल्क एवं विविध शुल्क की तालिका में निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात :–

संशोधन

उक्त तालिका में

(i) बही–1 के संबंध में क्रम संख्या 1 पर मद के खंड (क) के सामने जैसाकि प्रथम कॉलम में उल्लिखित है, आराप्य पंजीकरण शुल्क के उल्लेख करने संबंधी दूसरे कॉलम से सम्बद्ध प्रविष्टि के लिये और सर्किल दर के अनुसार मूल्य की निश्चित प्रतिफल राशि का 1 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, अधिकतम 50,000रूपये तक के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्ट स्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"सर्किल दर के अनुसार निश्चित प्रतिफल राशि या मूल्य का एक प्रतिशत, न्यूनतम एक हजार रूपये, जो भी अधिक हो ।"

(ii) बही IV के संबंध में क्रम सं0 3 पर मद के स्थान पर, जैसाकि प्रथम कॉलम में उल्लिखित है, और आराप्य पंजीकरण शुल्क निम्नलिखित मदें और सम्बद्ध प्रविष्टियां के उल्लेख करने संबंधी दूसरे कॉलम में यथाल्लिखित इससे सम्बद्ध प्रविष्टि, प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

वर्णन/विवरण	आरोप्य शुल्क
बही IV में अर्थात् सभी अन्य प्रलेखों के विवधि पंजीकरण	1000/–रूपये प्रति प्रलेख
(क) प्रतिफल सहित जीपीए	सर्किल दर के अनुसार निश्चित प्रतिफल राशि या मूल्य का एक प्रतिशत, जो भी अधिक हो,

यह अधिसूचना जून 10, 2011 से प्रभावी होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से

(राजेश मिश्रा)
विशेष महानिरीक्षक (पंजीकरण)

सं.फा. 01(36)/पंजी0 शाखा/मुख्या0/मंडली0आयु0/10/ (14)   दिनांकः 09/06/11

प्रतिलिपी निम्न को अग्रसारित :–

1. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली ।
2. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, दिल्ली ।
3. सचिव (सा0प्र0वि0), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दिल्ली राजपत्र भाग–4 असाधारण में प्रकाशनार्थ एक अतिरिक्त प्रति सहित ।
4. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
5. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली ।
6. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, दिल्ली ।
7. संयुक्त सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
8. समस्त उपायुक्त (राजस्व), ए0डी0एम/एस0डी0एम0, उप–पंजीयक/डीआईओ ।
9. राज्य इन्फोमेटिकस अधिकारी, एनआईसी, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
10. निजी सचिव, मंडलीय आयुक्त, दिल्ली ।
11. सिस्टम विश्लेषक, राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार से अनुरोध किया जाता है कि इसे राजस्व विभाग की वेबसाइट पर डालिए ।
12. गार्ड फाइल ।

(राजेश मिश्रा)
विशेष महानिरीक्षक (पंजीकरण)